19/12/23

वकील उभयपक्ष उपस्थित। मनन बहस व पत्रावली का अवलोकन किया। अत: आदेश है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र तहसीलदार धौलपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 R.T.A विरुद्ध अप्रार्थीगण खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)